Result Mitra Daily Magazine

बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश

हालिया संदर्भ :

- हाल ही में 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा लोगों के आरोपी होने के आधार पर उनके घरों और निजी संपत्तियों के विध्वंस करने की कार्यवाही पर अंकुश लगाने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किया है।
- सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथ की एक पीठ ने आरोपी लोगों के घरों एवं निजी संपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी आरोपी या दोषी व्यक्ति का मकान या निजी संपत्ति को ध्वस्त करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
- हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह सार्वजनिक स्थानों या सरकारी जमीन पर किसी भी अनधिकृत निर्माण का संरक्षण नहीं करता है।
-

क्या थी याचिका ?

- दरअसल सर्वोच्च न्यायालय राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा किए जा रहे मकानों के विध्वंस को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी।
- दरअसल दोनों राज्यों के मामले में मुस्लिम किराएदार द्वारा कथित रूप से अपराध किया गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया एवं उसके परिणामस्वरुप संबंधित राज्यों की सरकार ने किराएदार के मकान का विध्वंस किया।

- इसी मामले पर संबंधित राज्य के किराएदार के मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या है ?

- सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस पर निम्न दिशा–निर्देश जारी किया :

1. किराएदार को बेदखल या अपने मामलों को देखने के लिए अनिवार्य 15 दिनों की नोटिस
2. नोटिस में विध्वंस कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य

- इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा जारी दिशानिर्देश के उल्लंघन पर अवमानना की कार्यवाही हो सकती है एवं विध्वंस का आदेश देने वाले अधिकारियों से संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं भुगतान के लिए कहा जा सकता है।

विभिन्न राज्यों का स्थानीय कानून विध्वंस के बारे में क्या कहता है ?

1. राजस्थान

- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा–245 (सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा) के अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तो उसे 3 वर्ष तक की जेल एवं 50,000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है एवं नगर निकाय ऐसी अनाधिकृत संपत्तियों को जब्त भी कर सकता है।
- हालांकि इसी अधिनियम की धारा 245(10) में कहा गया है कि कथित आरोपी को पहले लिखित रूप से नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि किस आधार पर विध्वंस या संपत्ति जब्त की कार्यवाही हो रही है।
- इसके अलावा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 91 के तहत केवल तहसीलदार ही किसी अतिक्रमणकर्ता को बेदखल करने का आदेश पारित कर सकता है।

2. मध्यप्रदेश

- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम– 1961 की धारा 187 के तहत यदि किसी भवन का निर्माण या परिवर्तन नगर परिषद की अनुमति के बगैर किया गया है, तो नगर परिषद उसे हटा या बदल या गिरा सकती है।
- हालांकि इसके लिए मकान मालिक को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- मकान तभी ध्वस्त किया जा सकता है, जब नगर परिषद के नोटिस का जवाब में मकान मालिक पर्याप्त कारण बताने में विफल रहा हो।

Result Mitra

3. उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम –1973 के तहत नियंत्रित होता है।
- इस अधिनियम की धारा– 27 के तहत उन मामलों में इमारतों का विध्वंस का आदेश पारित किया जा सकता है, जब वहां निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष की अनुमति के बिना किया गया हो।
- उपरोक्त मामले में विकास प्राधिकरण संबंधित मालिक को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस भेजेगा, जिसका पर्याप्त जवाब नहीं मिलने पर आदेश जारी होने के कम से कम 15 दिनों के बाद विध्वंस की कार्यवाही की जा सकती है।

4. दिल्ली

- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही दिल्ली नगर निगम अधिनियम–1957 के द्वारा शासित होता है।
- अधिनियम के धारा 321 एवं 322 के तहत नगर निगम के आयुक्त बिना किसी अनुमति के कोई भी अवैध अतिक्रमण बिना किसी नोटिस के हटा सकती है।
- इसी अधिनियम की धारा–343 के तहत नगर निगम के आयुक्त बिना अनुमति के बनाए गए इमारत को विध्वंस करने का आदेश जारी कर सकता है।

5. हरियाणा

- हरियाणा में विध्वंस की कार्यवाही हरियाणा नगर निगम अधिनियम–1944 की धारा 261 द्वारा शासित होता है।
- इस अधिनियम के तहत अवैध निर्माण की इमारत गिराने की अवधि केवल तीन दिनों की है।

Result Mitra